फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

कैन फिन होम्स लिमिटेड, 101, फर्स्ट फलोर, सुभाष विला, प्लाट नम्बर – 643, सेक्टर – 13 हीरनमंगरी, उदयपुर 313001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री संदीप गौर

—— प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. श्री बाल किशन कुमावत पुत्र श्री गुलाब कुमावत, निवासी वीरभान जी का खेडा, कांकरोली, तहसील – राजसमन्द, जिला राजसमन्द, राजस्थान 313324

– ऋणी

2. श्रीमती मांगी बाई पत्नी श्री बाल किशन कुमावत, निवासी वीरभान जी का खेडा, कांकरोली, तहसील – राजसमन्द, जिला– राजसमन्द, राजस्थान 313324
3. श्री भंवर लाल कुमावत पुत्र श्री बाल किशन, निवासी वीरभान जी का खेड़ा, कांकरोली, तहसील – राजसमन्द, जिला राजसमन्द, राजस्थान 313324

– सहऋणी/जमानतदार

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 09/2024**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 02.05.2024 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी कैन फिन होम्स लिमिटेड, उदयपुर ने दिनांक 09.04.2024 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी से जरिये ऋण करार संख्या 187201000009 के द्वारा 25,00,000/– रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुनः भुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पत्ति प्लाट नम्बर – 09, सतकार विहार, सिद्धार्थ नगर, शंकर पूरा रोड, जावद; जिला– राजसमन्द, राजस्थान में स्थित को प्रार्थी कम्पनी के पास रहन किया। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और दिनांक 31.10.2020 को ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए घोषित कर दिया है। प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या 187201000009 में बकाया रूपये 26,79,000/– रूपये (अक्षरे छबीस लाख उन्यासी हजार मात्र) बकाया रकम व ब्याज दिनांक 31/03/2021 तक शेष व देय निकलते है, की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 01/04/2021 को एक मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पतों पर प्रेषित किये जो उन्हें प्राप्त हो गये, परन्तु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुनः भुगतान के लिए जो सम्पत्ति रहन रखी है। उसका प्रार्थी कम्पनी में रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार है। प्लाट नम्बर 09, सतकार विहार, सिद्धार्थ नगर, शंकर पूरा रोड, जावद, जिला– राजसमन्द, राजस्थान में स्थित है। जो कि श्री बाल किशन कुमावत पूत्र श्री गुलाब कुमावत के स्वामित्व के पक्ष में जरिये विक्रय पत्र दिनांकित 04 फरवरी 2016 अनुसार लिखी गई है। वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 01/04/2021 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी कैन फिन होम्स लिमिटेड ने ऋणी बाल किशन कुमावत पुत्र श्री गुलाब कुमावत, निवासी वीरभान जी का खेडा, कांकरोली, तहसील – राजसमन्द, जिला राजसमन्द को रूपये 25,00,000/– का ऋण स्वीकृत किया था इस हेतु ऋणी/ऋणियों/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्तिं, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है :– अचल सम्पत्ति :– प्लाट नम्बर– 09, सतकार विहार, सिद्धार्थ नगर, शंकर पूरा रोड, जावद, जिला– राजसमन्द, राजस्थान में स्थित है।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी कैन फिन होम्स लिमिटेड, उदयपुर क़े अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी उदयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. भंवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर (राज.)